

Transferred to PM-OG-TS
for n-a.

PM-1-AP

369889139

25/1

To Telephone-2223251
2225766, 2224812

PM-OG-TS



Fax - 0612-2225977

Gram - ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. SSA-Pen-09-122
Date 23/01/2019

GTR 321
12.2.19

To,

- No. _____
- ✓ The Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad. 500004
- 2 Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun 791110
- 3 Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola. 781029
- 4 Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi 834002
- 5 Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa 403101
- 6 Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur 492009
- 7 Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad 380009
- 8 Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4 & 5, Sector-33-B, Chandigarh 160047
- 9 Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla 171003
- 10 Pr. Accountant General (A&E), Jan mu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar 190009
- 11 Pr. Accountant General (A&E), Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore 560001
- 12 Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram 695039
- 13 Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior 474002
- 14 Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mubai 400020
- 15 Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur 440001
- 16 Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal 795001
- 17 Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong 793001
- 18 Accountant General (A&E), Mizora n, Shri Bualhranga Buildighn, Dinthar, Aizawl 796001
- 19 Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima 797001
- 20 Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar 751001
- 21 Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigarh, Sector- 17E, Chandigarh 160017
- 22 Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur 302002

Telephone-2223251
2225766, 2224812

Fax 0612-2225977
Gram : ACCOUNTS

- | | | |
|----|--|--------|
| 23 | Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok | 737102 |
| 24 | Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai | 600018 |
| 25 | Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala | 799006 |
| 26 | Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad | 211001 |
| 27 | Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun | 248171 |
| 28 | Pt. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata | 700001 |
| 29 | Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry | 605001 |
| 30 | Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi | 110007 |
| 31 | Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi | 110124 |
| 32 | Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi | 110021 |

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No.-3.2-2-वे.पु. (अ.प्र.)-08/2013-3251/वि.
प्रस्ता, दिनांक - 04-05-2018 (Grant of Dearness Relief @ 142% w.e.f. 01/01/2018)

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna.

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-04/05/2018

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवक/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 139 प्रतिशत के स्थान पर 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-8399/वि० दिनांक-30/10/2017 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/07/2017 के प्रभाव से 139 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1(3)/2008-E-II(B) दिनांक-28/03/2018 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर 139 प्रतिशत से बढ़ाकर 142 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मचारियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2018 के प्रभाव से 139 प्रतिशत के स्थान पर 142 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्षिक पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनर्नियोजित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

आपंक:-3ए-2-वे0पु0(भत्ता)-08/2013- 3251/वि०

पटना, दिनांक:-04/05/2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03 MAY 2018

PATNA

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।